राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

विज्ञापन संख्या : राम / भूअ / परीक्षा / प–226 / 10 / 2918 दिनांक : 07–03–2011

राज्य की पटवार प्रशिक्षण शालाओं में प्रवेश के लिये सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा – 2011

राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के अन्तर्गत राज्य की पटवार प्रशिक्षण शालाओं में प्रवेश हेतु पटवार भर्ती के प्रयोजनार्थ जिला कलेक्टर्स द्वारा सूचित किये गये पटवारी के **1984** पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन आमंत्रित किये जातें हैं । **आवेदक जिस जिले में नियुक्ति का इच्छुक हो उसी जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन पत्र पूर्ति उपरान्त प्रस्तुत करें। जिस जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उसी जिले में परीक्षा का केन्द्र आवंटित किया जावेगा व उसी जिले में नियुक्ति का पात्र होगा । आवेदक की पात्रता पर विचार उसी जिले के लिये किया जायेगा जहाॅ से उसने परीक्षा दी हैं।**

1.पदों का विवरण :–

क्र. सं.	जिले का नाम	भरे जाने वाले कुल पद	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति									पिछड़ा वर्ग			विशेष पिछड़ा वर्ग			सामान्य			*दण्डवत आरक्षण*	
						TSP			NON TSP			सहरिया जनजाति के लिये आरक्षित पद													
			सामान्य	महिलाओं के लिये आरक्षित	योग	सामान्य	महिलाओं के लिये आरक्षित	योग	सामान्य	महिलाओं के लिये आरक्षित	योग	सामान्य	महिलाओं के लिये आरक्षित	योग	सामान्य	महिलाओं के लिये आरक्षित	योग	सामान्य	महिलाओं के लिये आरक्षित	योग	सामान्य	महिलाओं के लिये आरक्षित	योग	*भू.पू.से. (12.5 प्रतिशत)*	*उत्कृष्ट खिलाड़ी (2प्रतिशत)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	*25*	*26*
1	अजमेर	79	10	3	13	0	0	0	7	3	10	0	0	0	12	4	16	0	0	0	28	12	40	9	1
2	अलवर	90	10	4	14	0	0	0	7	3	10	0	0	0	13	5	18	0	0	0	34	14	48	11	1
3	बांसवाड़ा **	30	1	0	1	10	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4	16	3	0
4	बारां	63	4	1	5	0	0	0	3	0	3	11	4	15	5	1	6	0	0	0	24	10	34	7	1
5	बाड़मेर	55	6	2	8	0	0	0	5	1	6	0	0	0	8	3	11	0	0	0	21	9	30	6	1
6	भरतपुर*	15	0	0	0	0	0	0	11	4	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	भरतपुर	112	14	5	19	0	0	0	10	3	13	0	0	0	17	6	23	1	0	1	40	16	56	14	2
7	भीलवाडा	99	11	4	15	0	0	0	8	3	11	0	0	0	14	6	20	0	0	0	38	15	53	12	1
8	बीकानेर*	9	2	0	2	0	0	0	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	बीकानेर	45	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	9	0	0	0	21	8	29	5	0
9	बून्दी	46	5	2	7	0	0	0	4	1	5	0	0	0	7	2	9	0	0	0	18	7	25	5	0
10	चित्तोड़गढ़	74	8	3	11	0	0	0	6	2	8	0	0	0	11	4	15	0	0	0	28	12	40	9	1
11	चुरू	33	4	1	5	0	0	0	3	0	3	0	0	0	5	1	6	0	0	0	14	5	19	4	0
12	दौसा	35	7	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	7	0	0	0	13	5	18	4	0
13	धौलपुर	63	7	3	10	0	0	0	5	2	7	0	0	0	10	3	13	0	0	0	24	9	33	7	1
14	डूंगरपुर **	43	2	0	2	14	5	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	6	22	5	0
15	हनुमानगढ़*	22	0	0	0	0	0	0	16	6	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	हनुमानगढ़	21	3	0	3	0	0	0	2	0	2	0	0	0	3	1	4	0	0	0	9	3	12	2	0
16	जयपुर*	23	9	3	12	0	0	0	8	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	जयपुर	23	3	0	3	0	0	0	2	0	2	0	0	0	3	1	4	0	0	0	10	4	14	2	0
17	जैसलमेर	22	0	0	0	0	0	0	5	2	7	0	0	0	3	1	4	0	0	0	8	3	11	2	0
18	जालौर	45	5	2	7	0	0	0	5	1	6	0	0	0	7	2	9	0	0	0	17	6	23	5	0
19	झालावाड़	58	7	2	9	0	0	0	5	1	6	0	0	0	9	3	12	0	0	0	22	9	31	7	1
20	झुन्झुनु	32	4	1	5	0	0	0	3	0	3	0	0	0	5	1	6	0	0	0	13	5	18	4	0
21	जोधपुर	58	7	2	9	0	0	0	5	1	6	0	0	0	9	3	12	0	0	0	22	9	31	7	1
22	कोटा	49	5	2	7	0	0	0	4	1	5	0	0	0	7	3	10	0	0	0	19	8	27	6	0
23	करौली	44	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	9	0	0	0	20	8	28	5	0
24	नागौर	78	9	3	12	0	0	0	7	2	9	0	0	0	12	4	16	0	0	0	29	12	41	9	1
25	पाली	131	14	6	20	0	0	0	11	4	15	0	0	0	19	8	27	1	0	1	48	20	68	16	2

क्र. सं.	जिले का नाम	भरे जाने वाले कुल पद	अनुसूचित जाति – सामान्य	अनुसूचित जाति – महिलाओं के लिये आरक्षित	अनुसूचित जाति – योग	अनुसूचित जनजाति – TSP – सामान्य	अनुसूचित जनजाति – TSP – महिलाओं के लिये आरक्षित	अनुसूचित जनजाति – TSP – योग	अनुसूचित जनजाति – NON TSP – सामान्य	अनुसूचित जनजाति – NON TSP – महिलाओं के लिये आरक्षित	अनुसूचित जनजाति – NON TSP – योग	अनुसूचित जनजाति – सहरिया जनजाति के लिये आरक्षित पद – सामान्य	अनुसूचित जनजाति – सहरिया जनजाति के लिये आरक्षित पद – महिलाओं के लिये आरक्षित	अनुसूचित जनजाति – सहरिया जनजाति के लिये आरक्षित पद – योग	पिछड़ा वर्ग – सामान्य	पिछड़ा वर्ग – महिलाओं के लिये आरक्षित	पिछड़ा वर्ग – योग	विशेष पिछड़ा वर्ग – सामान्य	विशेष पिछड़ा वर्ग – महिलाओं के लिये आरक्षित	विशेष पिछड़ा वर्ग – योग	सामान्य – सामान्य	सामान्य – महिलाओं के लिये आरक्षित	सामान्य – योग	*दण्डवत आरक्षण* – *भू.पू.सै. (12.5 प्रतिशत)*	*दण्डवत आरक्षण* – *उत्कृष्ट खिलाड़ी (2प्रतिशत)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	*25*	*26*
26	प्रतापगढ़**	20	1	0	1	7	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	10	2	0
	प्रतापगढ़	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	0
27	राजसमंद	90	10	4	14	0	0	0	7	3	10	0	0	0	13	5	18	0	0	0	34	14	48	11	1
28	सवाईमाधोपुर	51	6	2	8	0	0	0	5	1	6	0	0	0	7	3	10	0	0	0	19	8	27	6	1
29	श्रीगंगानगर*	8	2	0	2	0	0	0	5	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	श्रीगंगानगर	87	10	3	13	0	0	0	7	3	10	0	0	0	13	5	18	0	0	0	33	13	46	10	1
30	सीकर*	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	सीकर	22	3	0	3	0	0	0	2	0	2	0	0	0	3	1	4	0	0	0	10	3	13	2	0
31	सिरोही **	4	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
	सिरोही	33	4	1	5	0	0	0	3	0	3	0	0	0	5	1	6	0	0	0	14	5	19	4	0
32	टोंक	90	5	2	7	0	0	0	5	2	7	0	0	0	13	5	18	0	0	0	41	17	58	11	1
33	उदयपुर **	66	3	0	3	21	8	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	10	34	8	1
	उदयपुर	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	1	6	1	0

- उपरोक्त तालिका में * अंकित दर्शाये गये रिक्त पद यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 10–10–2002 से पूर्व के बैकलॉग के हैं । राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 10–10–2002 के प्रावधानानुसार यदि इन पदों हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को सामान्य प्रक्रिया से भरे जा सकेंगे ।

- * अंकित दर्शाये गये रिक्त पद के अतिरिक्त अन्य विज्ञापित पदों में राजस्थान के अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 10–10–2002 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जायेगा जब तक यथास्थिति, राजस्थान के अ.जा./अ.ज.जा. के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते । किन्ही भी परिस्थितियों में, राजस्थान के अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों को अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा ।

- * * अंकित कर दर्शाये गये रिक्त पद राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.9.2007 के अनुसार उस जिले के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिये यथा स्थिति दर्शाये अनुसार आरक्षित हैं । इन पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 10–10–2002 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जायेगा जब तक यथास्थिति, अनुसूचित क्षेत्र के अ.जा./अ.ज.जा. के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते ।
- राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.9.2007 के अनुसार बारां जिले के शाहबाद, किशनगंज तहसीलों के स्थानीय सहरिया आदिम जाति हेतु आरक्षित हैं। इन पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 10–10–2002 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को नियमानुसार अग्रणीत किया जायेगा ।

नोट :– **(क)** उक्त रिक्तियों पर अभ्यार्थी का चयन जिलेवार संबंधित जिला कलक्टर द्वारा किया जावेगा ।

(ख) राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 273 (4)(iv) के अनुसार पटवारी के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि पटवारी के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके । उपरोक्त के अलावा अधिसूचना क्रमांक प–14(18)डीओपी/ए–II/96 पार्ट दिनांक 10–10–02 के अनुसार भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 31–5–01 में पटवारी के लिये निःशक्त जनो को आरक्षण मुहैया करवाये जाने हेतु कोई पद चिन्हित नहीं है । राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद का नाम भारत सरकार के पद से भिन्न है या राज्य सरकार का कोई पद भारत सरकार के किसी भी विभाग में विद्यमान नहीं है तो ऐसे प्रकरण राज्य सरकार का समतुल्य पद परिलक्षित करने हेतु राजस्थान एम्पलायमेन्ट आफ दी परसन्स विथ डिसएबेलिटिज नियम 2000 के नियम 5 के अधीन गठित समिति का मत है कि पटवारी के पदों पर निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण नहीं किया जावें।

1. **भूतपूर्व सैनिको के लिए :** राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिको का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 % पद आरक्षित है।
   (क) भूतपूर्व सैनिको के आरक्षित पदों के विरूद्ध आवेदन करने वाले आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवानिवृत हो जाना आवश्यक है, अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा ।
   (ख) भूतपूर्व सैनिको के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा ।
   (ग) भूतपूर्व सैनिक :– (1) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय अभ्यर्थी का चरित्र ''अच्छा'' से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति में दर्शाया गया हो ।
   (2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्ह बना दे । उसे ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी नहीं हों, अच्छे चरित्र के दो प्रमाण–पत्र जो आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख से छः माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए नहीं हो, प्रस्तुत करने होंगे ।

2. **उत्कृष्ट खिलाडियों के लिए :** नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाडियों के लिए 2% पद आरक्षित है। उत्कृष्ट खिलाडियों से अभिप्रेत और उसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाडी जिन्होने अर्न्तराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्टस और खेलों में या बैडमिन्टन, टेनिस, शतरंज और क्रिकेट में उनसे संबंधित राष्ट्रीय स्तर के संघ, फैडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अर्न्तराष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में सिविल सेवाओं के प्रत्येक वर्ग के लिए निम्नलिखित विवरणानुसार, व्यक्तिशः या टीम के सदस्य के रूप मे भाग लिया हो :–
   एशियाई खेलो, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्र मण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशिपों, विश्व के विश्व विद्यालय खेलों, विश्व स्कूल खेलो, दक्षेस खेलों, या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आइटम) में या उसकी टीम (टीम स्पर्धा में) में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।
   (भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाडियों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से है अर्थात जिस वर्ग (SC/ST/OBC/SBC/GEN) का अभ्यर्थी उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा । इन आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपब्लब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा ।)

3. **महिलाओं हेतु आरक्षित पदो ंके लिए :** महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Category wise) है । महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा । परंतु जिस प्रवर्ग की महिला उपलब्ध होगी उसे सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, समायोजित किया जायेगा ।
   स्पष्टीकरणः– किसी वर्ग (सामान्य/अ0जा0/अ0ज0जा0/पि0व0/वि0पि0व0) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा ।

4. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाये गये पदों में से नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा महिलाओं के लिए एवं 2 प्रतिशत पद विछिन्न विवाह (तलाकशुदा) महिलाओं हेतु आरक्षित हैं। किसी वर्ग (सामान्य/अ0जा0/अ0ज0जा0/पि0व0/वि0पि0व0) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा महिला एवं विछिन्न विवाह महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जायेगा ।

5. **विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये** :
   (1)राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ–7(8)डीओपी/ए–2/ दि. 6–5–2010 के अनुसार राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग की जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये उपलब्ध आरक्षण के अतिरिक्त 1 प्रतिशत आरक्षण और देय हैं।
   (2)कार्मिक (क–2)विभाग के आदेश क्रमांक प–7(8)कार्मिक/क–2/08 दिनांक 31–1–11 के निर्देशानुसार विज्ञापित पदों के 4 प्रतिशत पद विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये सुरक्षित रखे गये हैं।

6. **आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिये** : कार्मिक (क–2)विभाग के क्रमांक प–7(8)कार्मिक/क–2/08 दिनांक 20–12–10 के निर्देशानुसार आर्थिक पिछड़ा वर्ग हेतु 14 प्रतिशत पद विज्ञापित पदों के अतिरिक्त नोशनल रूप में पद रखे गये हैं।

नोटः–

A. **विवाहित महिलाओं के लिए :** विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ी जाति का नॉनक्रीमिलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा ।

B. **पिछड़ा वर्ग के लिए :** राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपब्लब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा ।

C. **विज्ञापन जारी होने के उपरान्त जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढोत्तरी की जाती है तो मण्डल द्वारा नियमानुसार उन पदों में कमी या बढ़ोतरी करते हुए भर्ती की कार्यवाही की जा सकती है । जिसके लिए अलग से विज्ञापन/विज्ञप्ति जारी नहीं की जायेगी ।**

2. योग्यताएं :–

(1) शैक्षणिक :– (क) 10+2/सीनियर सैकण्डरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष अन्य परीक्षा जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की हुई हों ।
(10+2/Senior Secondary School Examination Passed or any other equivalent examination, recognised by the Government.)
(ख) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है।

(2) स्वास्थ्य :– पटवारी के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि पटवारी के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह पटवार प्रशिक्षण शाला में प्रवेश के लिये

चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये सरकार द्वारा अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(3) चरित्र :– सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह पटवारी के पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके । उसे सद्चरित्र का प्रमाण–पत्र उस विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य, मुख्य शिक्षा अधिकारी के जिसमे कि वह अन्तिम कक्षा में पढता था और इसी प्रकार के प्रमाण–पत्र दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन–पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के लिखे हुए ना हों और प्रमाण–पत्र देने वाले उसके विश्वविद्यालय या कालेज या स्कूल से संबंधित नहीं हो और उसके रिश्तेदार नहीं हों ।

3. आवेदन–पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक – आवेदन पत्र जिला कलेक्टर में पहुंचने का अन्तिम दिनांक 11–04–2011 सायं छः बजे तक (व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा) इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

प्रेषण : आवेदन पत्र भरने के बाद उसे दिये गये जिला कलेक्टर को जहॉ नियुक्ति पाने का इच्छुक है वहॉ पते लिखे लिफाफे में भेजें । एक लिफाफे में एक ही आवेदन पत्र भेजा जावे । एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने पर लिफाफे में प्राप्त सभी आवेदन पत्र को प्रथम दृष्ट्या पूर्व स्तर पर ही अस्वीकृत कर दिया जावेगा ।

आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन–पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से भिजवाए अथवा जिला कलेक्टर कार्यालय में व्यक्तिशः जमा करायें । आवेदक जिला कलेक्टर कार्यालय को अन्य माध्यम से भी आवेदन पत्र भेज सकता है परन्तु यह आवेदक की जिम्मेदारी होगी कि उसका आवेदन–पत्र जिला कलेक्टर कार्यालय को समयान्तर्गत प्राप्त हो। जिला कलेक्टर कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात् पहुंचने वाले आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र किसी भी माध्यम से भेजा गया हो।

4. परीक्षा का माह, स्थान एवं योजना :– परीक्षा एक ही दिनांक को राजस्थान राज्य के समस्त जिलों में आयोजित कराई जाएगी जिसकी सूचना पृथक से दी जावेगी।

परीक्षा राजस्थान राज्य के 33 जिला मुख्यालयों पर ली जाने की संभावना है ।

आवेदक को परीक्षा केन्द्र का आवंटन उसी जिले में जहॉ से उसने आवेदन किया है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा । जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के बाद परीक्षा केन्द्र एवं अन्य किसी भी प्रकार के परिवर्तन की कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जायेगी।

परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों का आवंटन जिला कलक्टर्स द्वारा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा, जिसे जिला कलक्टर द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा । इन पदों की परीक्षा वस्तुपरक (Objective Type) होगी।

5. परीक्षा शुल्क :–

पद के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों से परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार से लिया जावेगा :–

- सामान्य वर्ग के आवेदक हेतु परीक्षा शुल्क रूपये 200/–
- राजस्थान की पिछड़ी जाति की नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के आवेदक हेतु परीक्षा शुल्क रूपये 100/–
- राजस्थान की विशेष पिछड़ी जाति श्रेणी के आवेदक हेतु परीक्षा शुल्क रूपये 100/–
- राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदक परीक्षा शुल्क से मुक्त है।

नोट :–

1. **राजस्थान की पिछड़ी जाति की क्रीमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं है । अतः ऐसे आवेदक को सामान्य अभ्यर्थी के रूप में माना जावेगा । ऐसी स्थिति में पिछड़ी जाति की क्रीमिलेयर श्रेणी के आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में उपरोक्तानुसार आवेदन कर सकते हैं ।**
2. **राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति के (क्रीमिलेयर और नॉन क्रीमिलेयर) आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में उपरोक्तानुसार आवेदन कर सकते हैं ।**
3. **राजस्थान की पि.जा. वर्ग के नॉन क्रीमिलेयर के अभ्यर्थी को जिला कलेक्टर द्वारा मांग करने पर माता/पिता की आय पर आधारित नवीनतम जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिये।**
4. **परीक्षा शुल्क बैंक डी.डी./पोस्टल आर्डर के साथ आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करना होगा ।**

6. आयु :–

दिनांक 1–1–2012 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिये और 30 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिये लेकिन :–

1. अधिकतम आयु सीमा में –
   - (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति /पिछडे वर्ग/विशेष पिछडे वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी है, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी ।
   - (ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी ।
   - (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी है, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी ।
2. अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जिसने सजा मिलने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई आधार (Substantive) पर सेवा की थी और जो सजा पाने से पूर्व नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
3. अधिकतम आयु की सीमा में किसी ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में उसके द्वारा भोगी गई सजा की अवधि के बराबर काल तक की ढील दी जाएगी, जो कि सजा मिलने से पहले अधिक आयु का नहीं हुआ था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए योग्य था ।
4. जो व्यक्ति पटवारी के पद पर अस्थाई तौर से नियुक्त थे, उन्हें आयु की सीमा के भीतर समझा जाएगा यदि वे प्रथम बार नियुक्ति के समय आयु की सीमा में थे यद्यपि उन्होनें परीक्षा के लिये निश्चित की गई दिनांक को आयु सीमा पार कर ली हो और अगर वे प्रथम नियुक्ति के समय उसके योग्य थे, तो उन्हें दो अवसर प्रदान किये जायेंगे ।

5. कैडेट प्रशिक्षकों (Cadet Instructors) को उनकी वास्तविक आयु में से उतना समय घटाने की अनुमति दी जायेगी जितना समय उन्होंने एन.सी.सी. की सेवा में बिताया है और यदि उसके परिणाम स्वरूप उनकी आयु उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम आयु से ज्यादा नहीं हुई हो।
6. राज्य सेवा में संस्थाई (Substantive) तौर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश के लिये 42 वर्ष होगी।
7. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिको का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 6 के प्रावधानानुसार भूतपूर्व सैनिको के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्चतम आयु सीमा 2 वर्ष शिथिल करने योग्य होगी ।
8. पूर्वी अफ्रीका के केनिया, तंजानिया, युगांडा एवं जंजीबार देशों से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी ।
9. दिनांक 1–3–1963 को या उसके बाद 29–2–1977 तक बर्मा और श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपर बताई गई अधिकतम आयु 45 वर्ष तक शिथिल होगी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये यह शिथिलता 5 वर्ष तक और दी जायेगी ।

10. विधवाओं और विछिन्न विवाह महिलाओं के मामलें में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
स्पष्टीकरणः– विधवा महिला के मामले मे उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विछिन्न विवाह का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

7. परीक्षा योजना – राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के अनुसार परीक्षा योजना एवं पाठयक्रम निम्न प्रकार है:–

1. प्रतियोगी परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी।
2. परीक्षा की अवधि तीन घण्टे की होगी।
3. लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र बहुविकल्प (multiple choice) प्रकार के प्रश्नों का होगा।
4. प्रश्न–पत्र का ऋणात्मक अंकन किया जायेगा।
5. .परीक्षा का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे। नीचे दिये गये विवरण अनुसार प्रत्येक प्रश्न दो अंको का होगा :–

विषय का सनाम	प्रश्नो की संख्या	कुल अंक
सामान्य हिन्दी	50	100
गणित	50	100
सामान्य ज्ञान	50	100
Total	150	300

6. परीक्षा का पाठ्यक्रम व स्कोप (Scope) मण्डल की वेबसाइट **www.bor.rajasthan.gov.in.** पर उपलब्ध हैं।

8. अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में :–

सभी आवेदक चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, अपने आवेदन पत्र जिला कलेक्टर को सीधे ही भेजने चाहिये। जिला कलेक्टर कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात पहुंचने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र अपने नियोक्ता को अन्तिम दिनांक के पूर्व प्रस्तुत किया गया हो । जो आवेदक पहले से कार्यरत है उन्हे अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये । यदि नियोक्ता द्वारा जिला कलेक्टर को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने हेतु सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरंत प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है ।

9. विवाह पंजीयन :– शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22–5–2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है । तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा ।

10. नियुक्ति के लिये अयोग्यता :–

1. किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा । किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है ।
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा । किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है ।
3. कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो ।
4. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1–6–2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :–
परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती :
परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा
5 मण्डल द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करे ।

11. <u>आवेदन कैसे करें</u> :–

- आवेदन पत्र विज्ञापन में दिये गये प्रारूप में 8.5"X 14" साईज के मोटे कागज पर टंकित अथवा कम्प्यूटरीकृत होना चाहिये। इस प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र अथवा सामान्य प्रार्थना पत्र आदि स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
- आवेदन पत्र के सभी कालम की पूर्ति बाल पैन/टंकित/कम्प्यूटरीकृत होना चाहिये।
- संलग्नों की क्रम संख्या को आवेदन पत्र के संबंधित कालम में दर्शाया जावे।
- आवेदन पत्र के साथ दो लिफाफे मय डाक टिकट में स्वयं का पत्र व्यवहार का पता लिखे संलग्न किये जावें। जिसमें एक लिफाफे पर 25/–रूपये के डाक टिकट हो एवं दूसरे लिफाफे पर 5/– रूपये का डाक टिकट लगे होने चाहिये।
- आवेदन पत्र के साथ स्नातक परीक्षा की अंकतालिका व जन्म तिथि प्रमाण पत्र की स्वंय द्वारा सत्यापित प्रति व मूल निवास प्रमाण पत्र व आरक्षित पदों के आवेदन करने वाले अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/विकलांगता प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें। मूल प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करने होगे। आवेदन–पत्र पर आवेदक का चस्पा नवीनतम फोटो राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाना आवश्यक होगा।
- जिलो के पदों की समेकित वरीयता सूची जिला कलक्टर स्तर पर तैयार की जावेगी । आवेदक जिस जिले में आवेदन पत्र जमा करवायेगा, उसे उसी जिले में परीक्षा हेतु प्रविष्ट होना अनिवार्य होगा।
- आवेदन पत्र डाक से भिजवाये जाने की स्थिति में लिफाफे पर " **सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2011 जिला . ....**" आवश्यक रूप से अंकित किया जावें।
- उक्त विज्ञापन व आवेदन पत्र का प्रारूप जिले व मण्डल की वेबसाईट www.bor.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
- यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक जिलो में आवेदन पत्र भरकर भेजे जातें है तो ऐसे आवेदकों के सभी आवेदन पत्र प्रथम दृष्ट्या अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।
- आवेदन पत्र अंतिम दिनांक तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जायेगा। आवेदक आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्ते पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनायें संबंधित कॉलम में सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है तथा घोषणा के नीचे निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर दिये गये है। हस्तारयुक्त घोषणा एवं समस्त प्रविष्टियॉ पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में **जिला कलेक्टर कार्यालय** द्वारा आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
- आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व मण्डल द्वारा जारी किये गये समेकित विज्ञापन एवं आवेदन पत्र भरने के निर्देशों के साथ–साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें चूंकि आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही **जिला कलेक्टर** द्वारा आवेदकों को अस्थाई (Provisional) प्रवेश दिया जावेगा ।
- **जिला कलेक्टर कार्यालय** द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता (आयु, योग्यता श्रेणी आदि) की जांच की जायेगी । यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी । आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जायेगा ।
- सभी आवेदको से अपेक्षित है कि वे जिस जिले / विभाग में नियुक्ति के इच्छुक है, उसी जिला कलेक्टर कार्यालय से आवेदन भरें । अन्य जिले/ विभाग में आवेदन भेजने व एक से अधिक जिलों में आवेदन करने की स्थिति में उम्मीदवार का पात्रता सभी जिलों हेतु निरस्त की जा सकेगी ।
- आवेदन पत्र व अन्य विवरण हेतु मण्डल की वेबसाईट www.bor.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकते है एवं संबंधित जिला कलक्टर की वेबसाईट जो मण्डल की वेबसाइट पर दर्शित है, से भी प्राप्त कर सकते है । जिला कलक्टर अपने जिले में कार्यरत CSC व ई–मित्र केन्द्रों पर भी आवेदन पत्र 15/– रूपये की दर पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करायेंगे ।

12. आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगा जिसके प्रमाण में आवेदक को प्रमाण पत्र पात्रता जांच में प्रस्तुत करना होगा । अतः यह सुनिश्चित कर ले कि :–

(अ) जाति प्रमाण–पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है ।

(ब) पिछडा वर्ग के प्रमाण–पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमिलेयर/ नॉन क्रीमिलेयर की प्रविष्टियां सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है ।

(स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिये अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए जाति प्रमाण–पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जावेगा।

(द) राजस्थान राज्य के पिछडा वर्ग के क्रीमिलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है । अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थी वर्ग का माना जावेगा ।

(य) पिछडा वर्ग का नवीनतम प्रमाण–पत्र जो नियमानुसार पिता/ माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो । पिछडा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है **<u>पति की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा ।</u>**

(र) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं है ।

नोट :– (क) **जिला कलेक्टर कार्यालय** द्वारा आवेदकों को परीक्षा में अन्तरिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा। परीक्षा में केवल मात्र उसे प्रवेश पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि **जिला कलेक्टर कार्यालय** द्वारा उसकी उम्मीदवारी

अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियॉ **जिला कलेक्टर कार्यालय** द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं । **जिला कलेक्टर कार्यालय** द्वारा उम्मीद्वार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ पिछडा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य शर्तें आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इन पदों हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है । जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।

(ख) **अनुचित साधनों की रोकथाम :–** परीक्षार्थी को जिला कलेक्टर/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/मण्डल द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध जिला कलेक्टर/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एवं मण्डल द्वारा कार्यवाही की जा सकती है ।

13. वेतन : 5200–20200, ग्रेड पे – 1900 रूपये

जिला कलेक्टर कार्यालयों से पटवार प्रशिक्षण शाला में प्रवेश हेतु चयनित आशार्थियों की सूची राजस्व मण्डल को उपलब्ध कराये जाने पर भू.अ. नियम 281 के अनुसार 9 माह का पटवार प्रशिक्षण दिलवाया जावेगा व उसके पश्चात् भू.अ. नियम 282 के अनुसार विभागीय पटवार परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भू.अ. नियम 4(क) के तहत नियुक्ति दी जावेगी।

जो आशार्थी अन्तिम रूप से चयनित कर लिये जाएगे और पटवार प्रशिक्षण शाला में भर्ती कर लिए जाएगें । वे उस छात्रवृत्ति (Stipendiary allowance) के पात्र होंगे जो राज्य सरकार समय–समय पर स्वीकृत करे ।

14. परिवीक्षा अवधि : दो वर्ष

15. **पेंशन** :– राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम,1957 के अन्तर्गत अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। ऐसे किसी आशार्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियम पारिश्रमिक सदत्त किया जायेगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, सम्बन्धित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही अनुज्ञात किया जायेगा ।

16. **राजस्व मण्डल की वेबसाइट**:–

उम्मीद्वार मण्डल की वेबसाइट **http://www.bor.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु संबंधित कार्यालय जिला कलेक्टर कार्यालय पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

सचिव (भू.अ.)
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर।

विज्ञापन संख्या : राम/भूअ/परीक्षा/प–226/10/ दिनांक : 07–03–2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को उक्त विज्ञापन की प्रतियां प्रेषित करते हुए विज्ञापन **निम्नांकित दैनिक समाचार पत्रों के दिनांक 9–3–2011 के संस्करणों में (केवल विज्ञापन) एवं राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर के आगामी के अंक में मय पाठ्यक्रम के प्रकाशित कराने हेतु भेजा जाता है** :–
   1. दैनिक नवज्योति, राजस्थान के सभी संस्करण
   2. राजस्थान पत्रिका, राजस्थान के सभी संस्करण
   3. दैनिक भास्कर, राजस्थान के सभी संस्करण

   जिस पत्र के साथ विज्ञापन उक्त समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु भेजा जाये उसकी एक प्रति कृपया मण्डल कार्यालय को सूचनार्थ पृष्ठांकित करें साथ ही विज्ञापन प्रबन्धक से कृपया अनुरोध करें कि वे प्रकाशित विज्ञापन की एक प्रति (निःशुल्क) सचिव (भू.अ.), राजस्व मण्डल राजस्थान , अजमेर को सीधे ही भेजें ताकि प्रकाशित सामग्री की जांच की जा सके ।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
3. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ ।
4. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर ।
5. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
6. जिला कलेक्टर, समस्त (राजस्थान)
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
8. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को विज्ञापन (केवल एक बार) राजस्थान राजपत्र में प्रकाशनार्थ ।
9. मुख्य सम्पादक, सचिवालय संदेश, कमरा नम्बर – 85–बी, सचिवालय, जयपुर को विज्ञापन निशुल्क प्रकाशित करने हेतु ।

सचिव (भू.अ.)